

प्ररूप दो
(नियम 6 देखिये)
छत्तीसगढ़ शासन




सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

क्रमांक .13607
दिनांक (11.4.1984)

यह प्रमाणित किया जाता है रजिस्ट्रीकृत सोसायटी ...कृष्णा एजुकेशनल सोसायटी... ने
जो234 जोनल मार्केट सेक्टर-10, भिलाई, जिला दुर्ग.....
में स्थित है, अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और अब कृष्णा एजुकेशन सोसायटी.....
.....234 जोनल मार्केट सेक्टर-10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग.....
के नाम से छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 13
की उपधारा (2) के अधीन तारीख.....23 / 04 / 2011..... को रजिस्ट्रीकृत की गई है।




(डी.डी. महन्ता)
संस्थानों के डिप्टी रजिस्ट्रार
सोसायटियों का रजिस्ट्रार